

अभिलेख उपस्थापित।

कमल राम पिता स्व० किशुन राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना संख्या-154, खाता संख्या-76, प्लॉट संख्या-1216, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि ज्योति कुमारी पिता सुधीर रजक, निवास स्थान मटवारी, कुम्हारटोली, हजारीबाग थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-94/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 309/र० दिनांक 21.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1843 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत गुरुदयाल भुइया वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 6.95 एकड़ भूमि है। रकवा 0.1650 एकड़ भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी-11 में दर्ज है। ऑनलाईन पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-67/1 पर रामलाल भुइया वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। विक्रेता के परदादा वगै० जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.1250 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

क्रमांक की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश कार्रवाई दिप्पणी ता 3

2

प्रश्नगत भूमि का ड्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2023-24 में निर्गत लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

प्रश्नगत भूमि के बिक्री अनुमति के क्रम में श्री राज हरीश कुमार गुप्ता एवं सतिया देवी द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। आपत्ति के आलोक में उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरांत दाखिल कागजात एवं अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आपत्ति आवेदन को खारिज किया गया।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा एवं आपत्ति आवेदन पर सुनवाई के उपरांत कमल राम पिता स्व० किशुन राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना संख्या-154, खाता संख्या-76, प्लॉट संख्या-1216, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि ज्योति कुमारी पिता सुधीर रजक, निवास स्थान मटवारी, कुम्हारटोली, हजारीबाग थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।